

7
25/5

पत्रावली पेश। पार्थी व वकील पार्थी में
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-
बार आवाज लगाने में पश्चात भी
पार्थी व वकील पार्थी न्यायालय में
हाजिर नहीं हुए। अतः पार्थी का
पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA
अदम्य हाजरी अदम्य परवी में खारिज
किया जाता है, पत्रावली फ़सल नुमा
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
होकर लो।

(Signature)